



आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
27.11.2011	<p style="text-align: center;">न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ</p> <p style="text-align: center;">विविध अनुमति वाद संख्या-29/2011</p> <p style="text-align: center;">बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 (जी0)</p> <p>1. श्री धुमन उरांव, पिता-स्व0 मंजर उरांव, 2. श्री जानकी उरांव, पिता-स्व0 मंजर उरांव 3. श्री जवाहर लाल उरांव, पिता-स्व0 मंजर उरांव 4. श्री नेहरू उरांव, पिता-स्व0 मंजर उरांव सभी का साकिन-बाधमारा, थाना- के0 नगर, जिला- पूर्णियाँ..... आवेदकगण</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>बिहार सरकार..... विपक्षी</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह विविध अनुमति वाद आवेदकगण द्वारा बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 (G) अन्तर्गत अपनी पत्नी की इलाज हेतु मौजा-बाधमारा, थाना नं0-236, खाता नं0-113, खेसरा नं0-243, रकवा-0.05 डिसमिल 2 कड़ी जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।</p> <p>उस संदर्भ में अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ के न्यायालय में एक अनुमति वाद दायर किया गया है। जिसका वाद संख्या-23/2010 है। अपर समाहर्ता द्वारा अंचलाधिकारी, के0 नगर से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। अंचलाधिकारी, के0 नगर ने अपने पत्रांक 1294, दिनांक 21.09.2010 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें वर्णित है कि आवेदकगण के नाम से मौजा-बाधमारा, थाना नं0-236, खाता नं0-26, खेसरा नं0-210, रकवा-0.63 डिसमिल, खाता नं0-113, खेसरा नं0-209, रकवा-0.84 डिसमिल कुल रकवा-1.47 एकड़ एवं पिता स्व0 मंजर उरांव, पिता-स्व0 रैया उरांव, साकिन-बाधमारा, थाना नं0-236, खाता नं0-113, खेसरा नं0-209, रकवा-0.10, खेसरा नं0-398, रकवा-0.08 डिसमिल, खेसरा नं0-243, रकवा-0.12 डिसमिल, खेसरा नं0-357, रकवा-0.53 1/2 डिसमिल, खेसरा नं0-350, रकवा-0.13 डिसमिल कुल रकवा-1.05 एकड़ 5 कड़ी दोनों जमाबन्दी से मिलाकर कुल रकवा 2.52 एकड़ 5 कड़ी जमीन पंजी-11 जमाबन्दी नं0-113 एवं 221 पर दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2010-11 तक भुगतान है।</p> <p>आवेदकगण द्वारा बिक्री की जानेवाली जमीन मौजा-बाधमारा, थाना नं0-236, खाता नं0-113, खेसरा नं0-243, रकवा-0.05 डिसमिल 2कड़ी जमीन है, जिसका लगान वर्ष 2010-11 तक भुगतान है।</p> <p>आवेदकगण के पास बिक्री करने के पश्चात मौजा-बाधमारा, थाना नं0-236, खाता नं0-113, खेसरा नं0-209, रकवा-94 डिसमिल, खेसरा नं0-398, रकवा-0.08 डिसमिल,</p>

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	<p>खेसरा नं०-243, रकवा-0.06.8 कड़ी, खेसरा नं०-357, रकवा 0.53 1/2 डिसमिल, खेसरा नं०-350, रकवा-0.13, खाता नं०-26, खेसरा नं०-210, रकवा-0.63 कुल रकवा-2.47.3 कड़ी जमीन बच जाता है। लगान वर्ष 2010-11 तक भुगतान है।</p> <p>आवेदक के भाई जानकी उरांव के पत्नी के इलाज हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं।</p> <p>प्रश्नगत जमीन बिक्री के पश्चात भी आवेदकगण भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं।</p> <p>प्रश्नगत जमीन भूहदबन्दी, भूदान एवं बिहार सरकार से मुक्त है।</p> <p>अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी पत्नी की इलाज करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>